

F.No.24021/56/2017-PC Government of India/Bharat Sarkar Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya (Police Coordination Section)

North Block, New Delhi. Dated 18.03.2020

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Gazette Notification dated 10.05.2011 - regarding.

The undersigned is directed to forward herewith a copy of Gazette Notification dated 10.05.2011 on the subject.

2. It is requested to upload the same on the website https://ips.gov.in under heading Acts & Rules than Rule & Regulation for IPS with the following heading.

SI No. 13 IPS (Probation) Rules 1954, Amendment Rules 2009

Encl: As above

N) en Kolas user Ra

(Nunna Venkateswara Rao) Section Officer (PC) Tel No. 23094021

To,

Section Officer (IT Cell), MHA

Copy to:-NIC, MHA 1PS (Probation) Rules 1954, Amendmend Rules 2009

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

(1)	(2)	(3)
(xxvii)	11037/3/86-AIS (III)	25th August, 1986
(xxviii)	639	23rd June, 1989
(xxix)	638(E)	23rd June, 1989
(xxx)	11037/2/98-AIS (III)	7th June, 1999
(xxxi)	354	14th September, 2002

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मई, 2011

सा.का.नि. 380(अ).—-अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :---

1. (1) ये नियम भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) संशोधन नियमावली, 2009 कहलाएंगे।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

 भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 में नियम 5 के उप-नियम (4) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :---

"(2) नियम (3) के उप-नियम (2) में संदर्भित कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा को अवधि अथवा परिवीक्षा को विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में अथवा राज्य प्रशिक्षण संस्थान में अथवा देश में किसी अन्य मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संस्थान में, ऐसा प्रशिक्षण जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाए, प्राप्त करेगा :

बशतें कि जहां कोई परिवीक्षार्थी परिवीक्षा की अवधि अथवा परिवीक्षा की विस्तारित अवधि, जैसा भी मामला हो, के भीतर ऐसे प्रशिक्षण को प्राप्त नहीं करता है, उसे राज्य सिविल सेवा में उसके मूल पद पर प्रत्यावर्त कर दिया जाएगा"।

[फा. सं. 11058/01/2002-अ.भा.से.-111]

दीप्ति उमाशंकर, निदेशक (सेवाएं)

	810 000000 000 000	
क्र. सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
(1)	(2)	(3)
(i)	76	20 जनवरी, 1962
(ii)	164	2 फरवरी, 1963
(iii)	1164	22 अगस्त, 1964
(iv)	67	21 जनवरी, 1967
(v)	102	28 जनवरी, 1967
(vi)	945	24 जून, 1967
(vii)	1426	3 अगस्त, 1968
(viii)	1704	21 सितम्बर, 1968
(ix)	1882	26 अक्तूब र, 1968
(x)	1217	24 मई, 1969

पाद टिप्पण :---मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 152(अ), दिनांक 8 सितम्बर, 1954 द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :--- [भाग II-खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)
(i) (xi)	1986	
		11 जनवरी, 1972
(xii)	13/4/71-अ. मा.से. (III)	
(xiii)	1248	7 अक्तूबर, 1972
(xiv)	387	1 अप्रैल, 1972
(xv)	471.	18 मई, 1972
(xvi)	22/2/71-अ.मा.से. (III)-ख	15 जून, 1974
(xvii)	53	16 जनयरी, 1975
(xviii)	156	7 फरवरी, 1972
(xix)	1360	25 सितम्बर, 1976
(xx)	904	26 जून, 1976
(xxi)	1019	17 जुलाई, 1976
(xxii)	1305	27 दिसम्बर, 1980
(xxiii)	454	9 मई, 1981
(xxiv)	554	30 जुलाई, 1983
(xxv)	279	18 अप्रैल, 1987
(xxvi)	638(अ)	23 जून, 1989
(xxvii)	620	30 नवम्बर, 1993
(xxviii)	583	27 नवम्बर, 1983
(xxix)	54	12 जनवरी, 1994
(xxx)	414	3 अप्रैल, 2000
(xxxi)	355	14 सितम्बर, 2002

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th May, 2011

G.S.R. 380(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, after consultation with the State Governments, makes the following rules further to amend the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Police Service (Probation) Amendment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, for sub-rule (4) of rule 5, the following shall be substituted, namely :---

"(4) A Probationer referred to in sub-rule (2) of rule (3), shall within the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, undergo such training in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, or in the State Training Institution or in any other recognised training institution in the country for such period as the Central Government may consider necessary :

Provided that where a probationer does not undergo such training within the period of probation or the extended period of probation, as the case may be, he shall be reverted to his substantive post in the State Civil Service".

[F. No. 11058/01/2002-AIS-III]

DEEPTI UMASHANKAR, Director (Services)

1685 at 11-2

5